डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/487/2025 दिनांक : 10/11/2025

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव, प्रबन्ध समिति,
तथा प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः—उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2025—26 के लिए नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1355/70—2—2029—28/2025पार्ट—2 दिनांक 06 नवम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2026—27 के लिए **नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय—सारिणी निर्गत की गयी है।**

अतः शासन के उक्त पत्र के अनुपालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत सम्बद्धता आदेश की वैधता का परीक्षण कर लें तथा जिन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता सत्र 2025—26 में समाप्त हो रही है, उन पाठ्यक्रमों में सत्र 2026—27 से सम्बद्धता प्राप्त करने अथवा विस्तार हेतु शासन द्वारा निर्धारित उक्त समय—सारिणी के अनुसार शासन की वेबसाइट https://henoc.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने का कष्ट करें।

शासन द्वारा निर्धारित उक्त समय—सारिणी के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन आवेदन न किये जाने की स्थिति में, उक्त पाठ्यक्रम में अनापत्ति (NOC) एवं सम्बद्धता प्राप्त न होने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का स्वयं होगा।

संलग्नकः—यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी कुलपति—सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी बेवसाइट—सूचना को विश्वविद्यालय बेवसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
3. अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि सूचना को आज ही समस्त महाविद्यालयों की लोगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

Affisvlett

संख्या- 1355/70-2099/28/2025पार्ट-2

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

ई - मेल
आ॰ कार्यवाही हेतु:
AR (Affiliation)
तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें
कुलसचिव
07/11/2025

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 नवम्बर, 2025

विषयः-उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए निम्नवत समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1.	विश्वविद्यालय ' में नये पाठ्यकमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 06 नवम्बर से 15 दिसम्बर, 2025 तक।
2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 से 20 जनवरी, 2026 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3.	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक।
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के	दिनांक 10 फरवरी, 2026 तक।

	विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक।
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	निरीक्षण मण्डल का गठन दिनांक 05 मार्च, 2026 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 मार्च तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 अप्रैल, 2026 तक।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 अप्रैल, 2026 तक।
9.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मई, 2026 तक।
10.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2026 तक।

2- सामान्य निर्देश :-

(i) ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने के संबंध में निर्देश:-

- खतौनी का सत्यापन।
- संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा का स्थलीय सत्यापन।
- सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।

(ii) निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक:-

- निरीक्षण मण्डल का पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य-सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- निरीक्षण की तिथि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विकल्प दिये जाये, जिसपर पैनल सदस्यों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दोनों तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित होगीं। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्धारित तिथि पर पर पैनल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। उक्त निर्धारित तिथि पर निरीक्षण न होने होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त समझा जा सकता है।

- पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हों तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरूद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की की जाये।
- पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्शानुवर्श रिकार्ड रखा जाये।

(iii) निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्डः-

- प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्तकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप रूप से इंगित किया जाये।
- निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का का होगा।
- प्रक्रिया में शुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु यथा-आवश्यकता निरीक्षण मण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का प्रति-सत्यापन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जा सकता है।

4- उक्त समय-सारिणी एवं निर्देशों का प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने का का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट कष्ट करें।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

25Draft RKN384